[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 29/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. संख्यांक 583(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं_सा.का.नि. 154/94 सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं. 3 के सामने, स्तंभ (3) की शर्त (v) के खंड (अ) के उपखंड (ख) में "1,00,000 रु. (एक लाख)" अक्षर, अंकों, कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर, '3,00,000 रु. (तीन लाख)", अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2024- टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 154/94 सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, सा.का.नि. संख्यांक 583(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार सा.का.नि. संख्यांक 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना सं. 43/2017 सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा संशोधित की गई थी ।